

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 55 : Transportation of goods without issue of invoice

- (1) For the purposes of
- (a) supply of liquid gas where the quantity at the time of removal from the place of business of the supplier is not known,
 - (b) transportation of goods for job work,
 - (c) transportation of goods for reasons other than by way of supply, or
 - (d) such other supplies as may be notified by the Board,
- the consigner may issue a delivery challan, serially numbered not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, in lieu of invoice at the time of removal of goods for transportation, containing the following details, namely:-
- (i) date and number of the delivery challan;
 - (ii) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the consigner, if registered;
 - (iii) name, address and Goods and Services Tax Identification Number or Unique Identity Number of the consignee, if registered;
 - (iv) Harmonised System of Nomenclature code and description of goods;
 - (v) quantity (provisional, where the exact quantity being supplied is not known);
 - (vi) taxable value;
 - (vii) tax rate and tax amount—central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess, where the transportation is for supply to the consignee,
 - (viii) place of supply, in case of inter-State movement, and
 - (ix) signature.
- (2) The delivery challan shall be prepared in triplicate, in case of supply of goods, in the following manner, namely:-
- (a) the original copy being marked as **ORIGINAL FOR CONSIGNEE**;
 - (b) the duplicate copy being marked as **DUPLICATE FOR TRANSPORTER**; and
 - (c) the triplicate copy being marked as **TRIPLICATE FOR CONSIGNOR**.
- (3) Where goods are being transported on a delivery challan in lieu of invoice, the same shall be declared as specified in rule 138.
- (4) Where the goods being transported are for the purpose of supply to the recipient but the tax invoice could not be issued at the time of removal of goods for the purpose of supply, the supplier shall issue

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

a tax invoice after delivery of goods.

- (5) Where the goods are being transported in a semi knocked down or completely knocked down condition ¹[or in batches or lots] -
- (a) the supplier shall issue the complete invoice before dispatch of the first consignment;
 - (b) the supplier shall issue a delivery challan for each of the subsequent consignments, giving reference of the invoice;
 - (c) each consignment shall be accompanied by copies of the corresponding delivery challan along with a duly certified copy of the invoice; and
 - (d) the original copy of the invoice shall be sent along with the last consignment.
-

¹ Inserted by Noti. No. 39/2018-Central Tax, dt. 04-09-2018 w.e.f. 04-09-2018.

नियम 55 : बीजक जारी किए बिना मालों का परिवहन

(1) निम्नलिखित के प्रयोजनों के लिए—

- (क) तरल गैस की प्रदाय, जहां प्रदायकर्ता के कारबार के स्थान से उसको हटाए जाने के समय मात्रा ज्ञात नहीं है,
- (ख) जो कार्य के लिए मालों का परिवहन,
- (ग) प्रदाय से भिन्न कारणों से मालों का परिवहन, या
- (घ) ऐसी अन्य प्रदाय, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाए,

के लिए पारेषक परिदान चालान जारी कर सकेगा, जो क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित होगा, जिसमें 16 से अधिक एक या बहुल श्रृंखलाओं में परिवहन के लिए मालों को हटाने के समय करेक्टर नहीं होंगे, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :

- I. परिदान चालान की तारीख और नंबर;
- II. पारेषक का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है;
- III. पारेषिती का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर या पारेषिती की विशिष्ट पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है;
- IV. नाम पद्धति कूट और मालों के विवरण की सुव्यवस्थिति प्रणाली;
- V. मात्रा (अनंतिम, जहां प्रदाय की जा रही वास्तविक मात्रा ज्ञात नहीं है);
- VI. कराधेय मूल्य;
- VII. कर दर और कर रकम — केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर, जहां परिवहन पारेषिती को प्रदाय के लिए है;
- VIII. अंतःराज्य संचलन की दशा में प्रदाय का स्थान; और
- IX. हस्ताक्षर।

(2) निम्नलिखित रीति में मालों की प्रदाय की दशा में परिदान चालान को तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) मूल प्रति को **पारेषिती के लिए मूल** के रूप में चिन्हित किया जाएगा;

(ख) अनुकृति को **परिवहनकर्ता के लिए** अनुकृति के रूप में चिन्हित किया जाएगा; और

(ग) तीसरी प्रति को **पारेषणकर्ता के लिए** रूप में चिन्हित किया जाएगा।

(3) जहां मालों का परिवहन बीजक के स्थान पर परिदान चालान पर किया जा रहा है; वहां उसे नियम 138 में विनिर्दिष्ट के अनुसार घोषित किया जाएगा।

(4) जहां परिवहन किए जा रहे मार्ग प्राप्तिकर्ता को प्रदाय के प्रयोजन के लिए है, किन्तु प्रदाय के प्रयोजन के लिए मालों को हटाने के समय कर बीजक जारी नहीं किया जा सका है तो प्रदायकर्ता मालों के परिदान के पश्चात् कर बीजक जारी करेगा।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (5) जहां मालों का परिवहन सेमी नाकड डाउन या पूर्णतया नाकड डाउन स्थिति ¹[या बैचों अथवा लाटों] में किया जा रहा है—
- (क) प्रदायकर्ता पहले पारेषण को पारेषित करने से पूर्व पूर्ण बीजक जारी करेगा;
 - (ख) प्रदायकर्ता प्रत्येक पश्चातवर्ती पारेषण के लिए बीजक को निर्दिष्ट करते हुए परिदान चालान जारी करेगा;
 - (ग) प्रत्येक पारेषण के साथ तत्स्थानी परिदान चालान की प्रतियों के साथ बीजक की सम्यकता भरी हुई प्रति संलग्न होगी; और
 - (घ) बीजक की मूल प्रति को अंतिम पारेषण के साथ भेजा जाएगा।
-

1 अधिसूचना क्रमांक 39/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 04.09.2018 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.09.2018)।